"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 521] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 नवम्बर 2015 — कार्तिक 14, शक 1937

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-15/आठ-परि./2015. — मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की अधिसूचना क्रमांक डी/86/परिवहन/2000, दिनांक 25 नवम्बर 2000 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 63 के उप-नियम (2) के अधीन जारी किये गये आदेश क्रमांक 724/आठ-परि./2013, दिनांक 2 मई 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के लिये उक्त अधिनियम की धारा 68 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट समस्त शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निवर्हन करने हेतु तत्काल प्रभाव से राज्य परिवहन प्राधिकार छत्तीसगढ़ का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शासकीय तथा अशासकीय सदस्य होंगे, अर्थात् :-

शासकीय

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग	-	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात), पुलिस मुख्यालय, रायपुर	-	सदस्य
3.	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ), रायपुर	-	सदस्य

अशासकीय

1.	श्री अभिनेश कश्यप	-	सदस्य
2.	श्री रघुवीर सिंह बाधवा	-	सदस्य

No. F 5-15/VIII-Trans/2015. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of this department's previous notification No. D/86/Transport/2000, dated 25th November, 2000 and Order No. 724/VIII-Trans/2013, dated 2nd May, 2013 issued under sub-rule (2) of rule 63 of the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the State Government, hereby, constitutes with immediate effect the State Transport Authority Chhattisgarh to exercise and discharge in the whole the powers and functions specified in sub-section (3) of Section 68 of the said Act for the State of Chhattisgarh, which shall consist of following Government and Non-Government Members, namely :-

GOVERNMENT

1.	Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Transport Department	-	Chairman
2.	Additional Director General of Police (Traffic), Police Head Quarter, Raipur	-	Member
3.	Chief Engineer, Public Works Department (Building and Road), Raipur	-	Member

NON - GOVERNMENT

1.	Shri Abhinesh Kashyap	-	Member
2.	Shri Raghuveer Singh Badhava	-	Member

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.